

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)नियमितिकरण/अलेसे-III/622-654

दिनांक :- 20.03.2015

आदेश संख्या: 165 / 2014-15

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नलिखित कनिष्ठ लेखाकारों जिन्हें 02 वर्ष के परिवीक्षाकाल के लिए स्थायी पारिश्रमिक पर नियुक्ति दी गई थी, को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 34 के अन्तर्गत 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण करने एवं कनिष्ठ लेखाकार आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 09 में अंकित तिथि से स्थाई किया जाता है।

परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर इन्हें पे-बैंड 9300-34800 में मूल वेतन 12900 (9300 + 3600 ग्रेड पे) एवं नियमानुसार भत्ते देय होंगे।

क्र. सं.	लिंक नं०	मेरिट नं०	बैच	नाम कनिष्ठ लेखाकार (सर्वश्री)	जन्म तिथि	कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्य ग्रहण तिथि	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की तिथि	स्थाई करण तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9187	30	2008	भंवर लाल शर्मा	20.09.68	26.10.12	25.10.14	26.10.14
2	9701	69	2011	हंसराज बैरवा	02.08.72	04.02.13	03.02.15	04.02.15
3	9699	50	2011	जगदीश चैलानी	02.10.76	12.02.13	11.02.15	12.02.15
4	9681	74	2011	राहुल चन्द्रोदय	03.07.82	11.02.13	10.02.15	11.02.15
5	9697	83	2011	नरेन्द्र उज्जैनियां	19.06.90	04.02.13	03.02.15	04.02.15
6	9676	17	2011	राजेश विजय	05.09.74	13.02.13	12.02.15	13.02.15
7	9715	23	2011	भवानी सिंह शेखावत	02.02.74	27.02.13	26.02.15	27.02.15
8	9708	39	2011	विनोद कुमार पालीवाल	16.11.79	27.02.13	26.02.15	27.02.15
9	9720	82	2011	अनिल कुमार रोहलन	16.06.89	07.02.13	06.02.15	07.02.15
10	9717	26	2011	अनुराग शर्मा	10.12.90	27.02.13	26.02.15	27.02.15
11	9695	18	2011	नितिन मिश्रा	17.09.75	04.02.13	03.02.15	04.02.15
12	9731	56	2011	दीपक सिंह शेखावत	03.02.88	11.02.13	10.02.15	11.02.15
13	9711	61	2011	संजीव कुमार	08.07.84	28.02.13	27.02.15	28.02.15
14	9694	93	2011	प्रीतम कुमार	02.10.87	01.03.13	28.02.15	01.03.15
15	9690	55	2011	प्रशांत गौतम	20.10.86	26.02.13	10.03.15	11.03.15

कनिष्ठ लेखाकार पद पर कार्यग्रहण करने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन अन्य पद पर नियमित रूप से सेवारत रहे कार्मिकों (जिनके द्वारा परिवीक्षा अवधि में पूर्व पद का वेतन प्राप्त किया जा रहा है) का परिवीक्षाकाल समाप्ति पर वेतन निर्धारण वित्त विभाग के नोटिफिकेशन एफ.1(2)एफ.डी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006 के बिन्दु 03 (IV) के निर्देशानुसार राजस्थान सेवा नियम के नियम 26 के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त आदेश कनिष्ठ लेखाकार एवं लेखाकार सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में लम्बित विभिन्न न्यायिक प्रकरणों के निर्णय के अधधीन होंगे।


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

2. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....

3. उप निदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।

5. श्री, क0 लेखाकार, कार्यालय

W. S. Singh
(जसवन्त सिंह)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)